न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 09/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां(राज.) (प्रार्थी)

बनाम

श्री मॉगीलाल पुत्र श्री हीरलाल सुमन मैसर्स सुमन ओटोमोबाइल्स,
माथना चौराहा, मॉगरोल बाईपास,बारां जिला–बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री बृजमोहन गोयल,अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 17.02.2020

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 19.04.2018 को बारां शहर में घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर मैसर्स सुमन ओटोमोबाइल्स, मॉगरोल रोड, बारां पर दल सहित जॉच हेतु पहूॅचे। मौके पर श्री मॉगीलाल पुत्र हीरलाल उपस्थित मिले जिनके सामने दुकान परिसर की जॉच की गयी। जॉच के दौरान मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर(14.2 के.जी) तथा 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर(5 के.जी.) एक गैस पाईप बर्नर सहित पाये गये। वक्त जॉच मौके पर दुकान मालिक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से पाईप के जरिये छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जा रहीं थी। इस पर उपस्थित मॉगीलाल से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया ना हीं मौके पर इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	715903 S	INDANE	14.2	16.2	16.5	0.3
2	202722 E	HPCL	14.2	15.7	16.5	0.8
3	130723 E	INDANE	5.00	8.5	11.5	3.0
4	131139 E	INDANE	5.00	8.4	8.8	0.4
						4.5

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है। दुकानदार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफलिंग के जरिये छोटे अमानक गैस सिलेण्डरो व पेट्रोमैक्स में से गैस निकालकर उन्हे बेचते है। रिफलिंग से गैस रिसाव जैसी दुर्घटना होने का भी अंदेशा रहता है। जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू तीन गैस सिलेण्डर, गैस पाईप कर सहित व [illegible] को जप्त सरकार कर,रूबरू मौतबिरान श्री भॅवरसिंह पुत्र अखेराज [illegible] अभिमन्यु विहार

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:34:28 IST
Reason: SelfAttested

कॉलोनी, हाल प्रतिनिधि मै. राज एचपी गैस ऐजेन्सी, बारां की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4.5 किग्रा. गैस का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित होकर अपने समर्थन में दिनांक 29.01.2018 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3– अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि अप्रार्थी के ऑटो मोबाईल्स की दुकान है तथा दुकान के ऊपर हीं उसका मकान है, जहॉ अपने परिवार सहित रहता है। अप्रार्थी ने अपने खाली गैस सिलेण्डर, गैस एजेन्सी पर जाकर भरवाने के लिये रखे हुये थे। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलू गैस सिलेण्डरों से पाइप के जरिये छोटे सिलेण्डर में गैस नहीं भरी गयी है। घरेलू गैस सिलेण्डर का अपने घरेलू निजी उपयोग में हीं लेता है। जप्ती की कार्यवाहीं मिथ्या आधारों पर तैयार की गयी है। उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर गैस भरवाने के लिये दुकान के बाहर रखे हुये थे जिन्हे अभियान के दौरान जप्त किया है। अतः प्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

4– प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि बारां में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 19.04.2018 को अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर मैसर्स सुमन ऑटोमाईल्स, बारां पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर, व 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एक गैस पाईप बर्नर सहित पाये गये तथा मौके पर दुकान मालिक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से पाईप के जरिये छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जा रहीं थी। दुकान पर मौजूद दूकान मालिक मॉगीलाल से इस संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध गैस रिफलिंग के कार्य में उपयोग लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक पाइप बर्नर व पेट्रोमेक्स को राजसात किया जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों से अवैध रूप से रिफलिंग कर, व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, जप्ती की कार्यवाहीं कर, इस्तगासा प्रस्तुत किया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का व्यवसा[illegible]ग का कार्य नहीं किया है। मौके पर विभाग द्वारा उक्त गैस रिफलिंग [illegible] बा[illegible] लिखी है, पूर्णतया झूठी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:34:28 IST
Reason: SelfAttested

मनगढन्त व निराधार है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी की ऑटोमोबाइल्स की दुकान के ऊपर उसका मकान है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है। उक्त सिलेण्डर गैस ऐजेन्सी से गैस भरवाने के लिये रखे गये थे तथा पेट्रोमेन्स घरेलू उपयोग के लिये रखा हुआ था। रसद विभाग ने बिना तहकीकात व हकीकत की जानकारी किये, उसपर झूठा केस तैयार किया गया है। अप्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवेध रिफलिंग नहीं की गयी है। अप्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। इस्तगासा निराधार तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर मै0 सुमन ऑटोमाबाईल्स, माथना चौराहा, बारां पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग अवैध रिफलिंग की शिकायत पर मौके पर पहूँचकर जॉच के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग करते पाये जाने पर, 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो छोटे सिलेण्डर मय गैस को जप्त किया गया है। इस पर अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफलिंग नहीं की गयी है। जप्तशुदा सिलेण्डर घरेलू उपयोग के लिये हीं रखे गये थे। उसने व्यवसायिक दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जॉच के दौरान अप्रार्थी को व्यवसायिक परिसर पर घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे गैस सिलेण्डर में पाईप के जरिये गैस भरते पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डर मय गैस को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग अवैध रिफलिंग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4.5 किग्रा. गैस एवं 2 छोटे सिलेण्डर, पाईप बर्नर व एक पेट्रोमेक्स को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा छोटे गैस सिलेण्डर व पेट्रोमेक्स व पाईप बर्नर का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:34:28 IST
Reason: SelfAttested